संख्या-451/22-4-2010-104(ब)/08

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक- 28 फरवरी,2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में गृह विभाग(कारागार) के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-127/बजट-09-10 (पुनर्विनियोग) दिनांक-28.02.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2056-101-03-07-मानदेय एवं लेखाशीर्षक 2056-800-03-01-वेतन मद में उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग से कारागार मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय देने हेतु लेखाशीर्षक-"2056-001-03-निदेशन तथा प्रशासन-07-मानदेय में रु0-64,000.00 (रूपये चौसठ हजार मात्र) एवं कारागार प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावासों/प्रशासनिक भवन, टूटी पाइप लाइनों एवं पानी की टंकी की मरम्मत हेतु लेखाशीर्षक 2056-800-03-29-अनुरक्षण मद में रु0- 3,00,000.00 (रूपये-तीन लाख मात्र) अर्थात कुल रु0-3,64,000.00 (रूपये तीन लाख चौसठ हजार मात्र) की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2056-जेले-001-03-निदेशन तथा प्रशासन-07-मानदेय" एवं 2056-800-03-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-25 के लेखा शीर्षक "2056-101-03-07-मानदेय" एवं 2056-800-03-01-वेतन मद में होने वाली संभावित बचतों से संलग्नक के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- उक्त अतिरिक्त धनराशि के पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि महानिरीक्षक, कारागार द्वारा व्यय से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर लिया जायेगा और धनराशि का उपयोग प्रक्रिया और समस्त संबंधित नियमों का पूर्ण अनुपालन एवं यथा आवश्यक सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-650/दस-2010 दिनांक- 28 फरवरी,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

PTO

संख्या- 451(1)/22-4-2010-तंद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।